

प्रेषक

ममता श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय मान्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुसार

लखनऊ: दिनांक 20 फरवरी, 2008

विषय: — सेन्ट फोर्सिस कान्डेर स्कूल, सिकन्दराबाद को सी०वी०एस०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

नहोदय

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०वी०एस०इ० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अन्वेषण आपत्ति नहीं है।

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वासा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रथान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेंवादी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र०मान्यमिक शिक्षा परिषद्/बोर्ड रिक्सा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों ने विभिन्न जलाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वाश राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय मान्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड जाफ सोफेज़ी एजूकेशन नईदिल्ली/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्यामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र० मान्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षण-उत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें दनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उत्कृतर मान्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्भत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
(8) विद्यालय का रिकाउं नियारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुभोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2— उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

सद्दीय,

(ममता श्रीदास्तव)
उप सचिव ।

प०संख्या एवं दिनांक तार्डैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली हेतु प्रेषित :-

- 1— शिक्षा निदेशक(मा०),उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 2— मण्डलीय संघुक्त शिक्षा निदेशक,आगरा ।
- 3— जिला विद्यालय निरीक्षक,आगरा ।
- 4— निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०,लखनऊ ।
- 5— प्रबन्धक,सेन्ट फ्रांसिस कान्वेट स्कूल,सिकन्दरा,आगरा ।
- 6— गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीदास्तव)
उप सचिव ।


Principal
St. Francis' Convent School
UPSIDC Road
Sikandra, Agra-282007